



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38

पटना, बुधवार,

26 भाद्र 1947 (श0)

17 सितम्बर 2025(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्यव्यक्तिगतसूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवकगुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल औरकार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्चन्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	25-34
	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सं० 4/क्षेत्रा(रा०कर्म० पद सृजन) 02-03/2025-630(4)/रा०
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक-09.09.2025 के मद संख्या-14 में दी गयी स्वीकृति के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन, वेतनमान तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय-131,74,21,368/- (एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ अड़सठ) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

दिनांक 10 सितम्बर 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रत्येक हल्कावार पूर्व से सृजित 4045 पदों के अतिरिक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-462(4)/रा०, दिनांक-29.06.2010 द्वारा पंचायतों के क्षेत्राधिकार को हल्का मानकर हल्कों का सृजन एवं राजस्व कर्मचारी के 4418 पदों का सृजन किया गया। तदुपरान्त पटना सदर अंचल के विभाजन से चार अंचलों यथा-पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल के सृजन के उपरान्त उक्त कार्यालयों हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-694(3)/रा०, दिनांक-25.11.2024 द्वारा राजस्व कर्मचारी के कुल 9 पदों का सृजन किया गया। उक्त पद सृजन के फलस्वरूप सम्प्रति राजस्व कर्मचारी के कुल 8472 स्वीकृत पद हैं।

2. राजस्व कर्मचारियों के पद सृजन का आधार केवल ग्राम पंचायत/हल्का की संख्या का आकलन ही रहा है। बड़े हल्कों में जमाबंदी की संख्या अत्यधिक होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्य करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही इनके द्वारा नगर निकायों के भूमि की जमाबंदी संबंधी कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है एवं नगर निकायों के हल्कों में भी जमाबंदी की संख्या अधिक होने के कारण राजस्व संबंधी कार्यों में वृद्धि हुई है। अतः राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत बल में वृद्धि करने हेतु 5103 हल्कों में प्रति हल्का एक (01) तथा 3336 हल्कों में प्रति हल्का दो (02) अर्थात् (5103X1+3336X2) कुल-11775 राजस्व कर्मचारी के पद हो जाएंगे।

3. उपर्युक्त के आलोक में हल्का पुनर्निर्धारण के आधार पर राजस्व संबंधी कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु राजस्व कर्मचारी के निम्नांकित अतिरिक्त पदों का अनुमान्य वेतनमान सहित सृजन तथा अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन स्तर एवं वेतनमान	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	नए सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या	नवसृजन के पश्चात् कुल पदों की संख्या
1.	राजस्व कर्मचारी	2 (19900-63200)	8472	3303	11775

4. उक्त अतिरिक्त सृजित पदों का अनुमानित वार्षिक व्यय ₹131,74,21,368/- (एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ अड़सठ) रुपये मात्र संभावित है (व्यय विवरणी परिशिष्ट 'क' एवं जिलावार राजस्व कर्मचारी के कुल पदों की संख्या की विवरणी परिशिष्ट 'ख' संलग्न है)

5. उक्त पदों के सृजन पर होनेवाले व्यय की राशि का भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं०-40, मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष 0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय, विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

7. प्रस्ताव में दिनांक-09.09.2025 को मंत्री परिषद की बैठक के मद संख्या-14 में स्वीकृति प्राप्त है।

अनु० :- यथोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-“क”

राजस्व कर्मचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय की विवरणी -

क्र०सं०	पद का नाम	लेवल	प्रतिष्ठित वेतन	महंगाई भत्ता (55%)	HRA@7% (औसत)	चिकित्सा भत्ता	कुल	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	कुल सृजित किये जाने वाले पदों की संख्या	वार्षिक वेतन [(कॉलम 8 X कॉलम 10) X 12]	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	राजस्व कर्मचारी	2	19900	10945	1393	1000	33238	8472	3303	1317421368	बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग
कुल योग -									3303	1317421368	

अतिरिक्त खर्च (एक सौ इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ अड़सठ) मात्र।
दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-“ख”

राजस्वकर्मचारी के कुलपदों की संख्या की विवरणी

क्र. सं.	जिला	01 हल्कामें 01 राजस्वकर्मचारी	01 हल्कामें 02 राजस्वकर्मचारी	कुलराजस्वकर्मचारी
1	अररिया	75	142	359
2	अरवल	68	0	68
3	औरंगाबाद	111	97	305
4	बाँका	85	101	287
5	बेगूसराय	142	99	340
6	भागलपुर	138	97	332
7	भोजपुर	207	27	261
8	बक्सर	120	23	166
9	दरभंगा	223	89	401
10	पूर्वीचम्पारण	234	164	562
11	गया	324	28	380
12	गोपालगंज	149	88	325
13	जमुई	90	67	224
14	जहानाबाद	93	3	99
15	कैमूर	105	46	197
16	कटिहार	70	172	414
17	खगड़िया	64	62	188
18	किशनगंज	16	112	240
19	लखीसराय	24	57	138
20	मधेपुरा	128	36	200
21	मधुबनी	277	115	507
22	मुंगेर	52	51	154
23	मुजफ्फरपुर	173	228	629
24	नालंदा	244	13	270

25	नवादा	155	31	217
26	पटना	254	79	412
27	पूणियाँ	65	179	423
28	रोहतास	192	59	310
29	सहरसा	98	47	192
30	समस्तीपुर	259	109	477
31	सारण	179	152	483
32	शेखपुरा	24	29	82
33	शिवहर	19	34	87
34	सीतामढ़ी	139	127	393
35	सीवान	165	132	429
36	सुपौल	77	101	279
37	वैशाली	133	161	455
38	पश्चिमचम्पारण	132	179	490
कुल—		5103	3336	11775

दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
8 सितम्बर 2025

सं० ग्रा०वि०-R-503/112/2022-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-192465)—4567460/ग्रा०वि०—श्री सिद्धार्थ कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-102022), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर) के विरुद्ध काराकाट प्रखंड के सोनवर्षा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जरूरतमंद लाभुकों का चयन नहीं करने एवं पूर्व से पक्का मकानवाले परिवारों का नाम सूची में जोड़कर राशि का भुगतान करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पत्रांक-1409 दिनांक-04.07.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) के पत्रांक-383 दिनांक-04.03.2023 द्वारा श्री सिद्धार्थ का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सिद्धार्थ कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु संकल्प संख्या-1860166 दिनांक-23.06.2023 द्वारा श्री सिद्धार्थ कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3200240 दिनांक-23.09.2024 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के तहत श्री सिद्धार्थ से विभागीय पत्रांक-3265485 दिनांक-16.10.2024 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर के पत्रांक-1413 दिनांक-11.11.2024 द्वारा श्री सिद्धार्थ का लिखित अभ्यावेदन प्राप्त है।

श्री सिद्धार्थ कुमार के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिद्धार्थ से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री सिद्धार्थ कुमार के विरुद्ध लगाये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। श्री सिद्धार्थ कुमार द्वारा लिखित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत संचालन पदाधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए श्री सिद्धार्थ कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-102022), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काराकाट (रोहतास) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर) के विरुद्ध “असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक” की शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सिद्धार्थ कुमार की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

11 सितम्बर 2025

सं० R-504/29/2023-Section-14-RDD-RDD—4587470/ग्रा०वि०—श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के विरुद्ध आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ देने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्गदर्शिका के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता पर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित लाभार्थियों को लाभ दिये जाने संबंधी तथ्यों को छुपाने एवं सरकारी राशि के दुरुपयोग रोकने में अभिरूचि नहीं लेने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक- 645 दिनांक- 24.04.2020 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री वर्मा से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री वर्मा के कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के पत्रांक-468 दिनांक-24.08.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री वर्मा के मांझी प्रखंड पदस्थापन अवधि में आवास योजना के तहत चार लाभार्थियों को दो-दो बार आवास का लाभ दिये जाने संबंधी मामले में आरोपित पदाधिकारी द्वारा दो भिन्न-भिन्न प्रतिवेदन दिये गये हैं। यह कृत्य श्री वर्मा द्वारा बरती गई उक्त लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता के लिए विभागीय अधिसूचना सं०- 2494151 दिनांक- 22.01.2024 द्वारा श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर के विरुद्ध “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक” का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंड के विरुद्ध श्री वर्मा द्वारा दंड से मुक्त हेतु विभाग में अभ्यावेदन दिनांक- 27.03.2025 समर्पित किया गया। विभाग द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया है कि उक्त अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री मिथिलेश बिहारी वर्मा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी, सारण संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ, बक्सर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक-27.03.2025 को संचिकास्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

15 सितम्बर 2025

सं० R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD—4603570/ग्रा०वि०—श्रीमती नीलम (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-108163), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 09.06.2025 को परिवादी श्री मिथिलेश कुमार से 20,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 35/2025 दिनांक-06.06.2025 दर्ज होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- 955/अप०शा० पटना, दिनांक-20.06.2025 से दी गयी।

2. विभागीय अधिसूचना सं०- 4316750 दिनांक- 09.07.2025 द्वारा श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 09.06.2025 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

3. श्रीमती नीलम द्वारा दिनांक-21.08.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 22.08.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

4. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्रीमती नीलम को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-22.08.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

15 सितम्बर 2025

सं० R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD—4603632/ग्रा०वि०—श्रीमती नीलम (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-108163), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 09.06.2025 को परिवादी श्री मिथलेश कुमार से 20,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 35/2025 दिनांक- 06.06.2025 दर्ज होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- 955/अप०शा० पटना, दिनांक- 20.06.2025 से दी गयी।

विभागीय अधिसूचना सं०- 4316750 दिनांक- 09.07.2025 द्वारा श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 09.06.2025 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्रीमती नीलम द्वारा दिनांक-21.08.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक-22.08.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-4603570 दिनांक-15.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(1) के आलोक में श्रीमती नीलम को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-22.08.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

4. श्रीमती नीलम के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है एवं इनके अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

अतः श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

5. निलम्बन अवधि में श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. निलम्बन अवधि में श्रीमती नीलम का मुख्यालय, उप विकास आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2025

सं०सं०-ई2-2-66/2022-25—सुश्री प्राची अपूर्वा (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी का झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में चयन होने के फलस्वरूप उनके अभ्यावेदन के आधार पर दिनांक 31.08.2025 तक इनकी सेवा स्वीकार करते हुए दिनांक 31.08.2025 के अपराह्न से त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

2. सुश्री प्राची अपूर्वा द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में योगदान दिये जाने पर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

सं० 10/पी.3-10-04/2025 गृ०आ०—11448

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 3 सितम्बर 2025

विषय:- ERSS मिरर साईट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, गयाजी के संचालन हेतु आवश्यक 132 पदों की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (ERSS) अत्याधुनिक एवं एकीकृत प्रणाली पर आधारित सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना का कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, पटना में संचालित है, जिसके लिए विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1509, दिनांक-01.02.2023 द्वारा विभिन्न पुलिस संवर्गीय 391 पद सृजित किया गया है।

2. ERSS परियोजना के विस्तृत प्रतिवेदन में One Secondary Command & Control Centre, Probably Gaya District Based on the Feasibility तथा इसके कार्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-05.07.2023 को ERSS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आहूत बैठक वृत्त की कड़िका 06 में Secondary Centre of ERSS स्थापित किये जाने का निदेश दिया गया है :-"Secondary Command & Control centre other than Patna with 20% of operational capacity of Primary CCC will be established at Gaya, Both will be operated concurrently."

3. 20% Capacity वाले Mirror Site ERSS Command & Control Centre, Gaya के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में कार्यरत Command & Control Centre, Patna के तर्ज पर निम्नांकित मानव बल के सृजन हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त है :-

क्र० सं०	पदनाम	Seats	वांछित पदों की संख्या					अवकाश हेतु	वांछित पदों की कुल सं०	अभ्युक्ति
			प्रथम पाली	द्वितीय पाली	तृतीय पाली	रोटेशन टीम	कुल योग			
#	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	पुलिस उपाधीक्षक	1	-	-	-	-	-		1	
2	पुलिस निरीक्षक Incident Response Manager (IRM)	1	1	1	1	1	4	1	5	
3	पु०अ०नि० Call Added Dispatcher (CAD)	5	3	3	3	3	12	2	14	
	स०अ०नि० Call Added Dispatcher (CAD)		2	2	2	2	08	1	9	
4	सिपाही Call Response Associate (CRA)	20	20	20	20	20	80	12	92	
5	Office Staff	10	-	-	-	-	-	-	10	01पु०अ०नि०, 01स०अ०नि, 06 सिपाही, 01 निम्नवर्गीय लिपिक, 01 परिचारी (पत्र वाहक)
6	चालक सिपाही	1	-	-	-	-	-	-	1	
Total									132	

4. Mirror Site ERSS Command & Control Centre, Gayaji के क्रियान्वयन हेतु उक्त स्थायी पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है। उक्त सृजित पद के नियंत्री पदाधिकारी स्टेट नोडल पदाधिकारी ERSS बिहार, पटना होंगे।

5. उक्त के आलोक में Mirror Site ERSS Command & Control Centre, Gaya के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित पुलिस संवर्गीय एवं गैर पुलिस संवर्गीय पदों को स्तम्भ-4 में अंकित वेतन स्तर में सृजित किया जाता है :-

क्र०सं०	पदनाम	कुल पद	वेतन स्तर
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	पुलिस उपाधीक्षक	01	Level-9
2	पुलिस निरीक्षक	05	Level-7
3	पुलिस अवर निरीक्षक	15	Level-6
4	सहायक पुलिस अवर निरीक्षक	10	Level-5
5	सिपाही	98	Level-3
6	चालक सिपाही	01	Level-3
7	निम्न वर्गीय लिपिक	01	Level-3
8	परिचारी (पत्र वाहक)	01	Level-1
कुल :-		132	

6. स्थायी पद सृजन के उपरान्त उक्त मानव बल पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 8,06,61,774/- (आठ करोड़ छः लाख इकसठ हजार सात सौ चौहत्तर) रुपये मात्र होगा। इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2055 पुलिस, उप-मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष-114-बेतार एवं कम्प्यूटर, उप शीर्ष-0001-संकेत, विपत्र कोड-22-2055.00.114.0001 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से की जायेगी। इससे संबंधित सभी व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, वित्तु, बिहार, पटना होंगे तथा इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

7. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

8. उक्त पर संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु भूषण सिंह, सरकार के अवर सचिव।

Home Department (Police Branch)

NOTIFICATION The 8th September 2025

No. 7/CCA-101/2025 H(P)-11600--Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice **Pavankumar Bhimappa Bajanthri** as the Acting Chief Justice of Patna High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024.
2. National Security Act, 1980.
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Sudhir Singh**

Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retired)

Hon'ble Mr. Justice **Prabhat Kumar Jha** (Retired)

Chairman

Member

Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar,
Prakash Ranjan, Deputy Secretary.

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
10 सितम्बर 2025

सं० 7/सी0सी0ए0-10-04/2024 गृ0आ0-11714—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 12/2024) के अध्याय-2 की धारा-12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा-12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने-अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-3054 दिनांक-11.03.2025 के क्रम में अगले छः महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 25.09.2025 से 24.03.2026 (पच्चीस सितम्बर दो हजार पच्चीस से चौबीस मार्च दो हजार छब्बीस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
किरण माला पँवरिया, अवर सचिव।

पटना उच्च न्यायालय

अधिसूचनाएं
19 अप्रैल 2025

सं० 1788 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारियों को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी प्रथम श्रेणी को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 12 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानान्तरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम	अनुमण्डल का नाम
1.	2.	3.	4	5.
1.	सुश्री कुमारी प्रियंका, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), नवादा	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) नवादा (स) नवादा	नवादा	नवादा
2.	श्री मयंक कुमार पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेगूसराय	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) मंझौल (स) बेगूसराय	बेगूसराय	मंझौल
3.	श्री आशिष चन्द्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), भभुआ (कैमूर)	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) मोहनिया (स) कैमूर	कैमूर	मोहनिया
4.	सुश्री स्वाति प्रियदर्शिनी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बेतिया (स) पश्चिमी चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया

5.	सुश्री शिखा शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, शिवहर	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) शिवहर (स) शिवहर	शिवहर	शिवहर
6.	सुश्री कुमारी डिम्पी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जहानाबाद	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) अरवल (स) जहानाबाद	जहानाबाद	अरवल
7.	सुश्री कविता कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), कटिहार	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) कटिहार (स) कटिहार	कटिहार	कटिहार
8.	श्री आनंद राज, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) झंझारपुर (स) मधुबनी	मधुबनी	झंझारपुर
9.	श्री इंजमामूल हक, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), किशनगंज	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) किशनगंज (स) किशनगंज	किशनगंज	किशनगंज

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 19th April 2025

No. 1788 A :—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Judicial Magistrates in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the High Court is pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against their names in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code / Sub Section (3) of Section 10 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 5 of the said table.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and place of present posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District	Name of the Sub-Division
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ms. Kumari Priyanka, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Nawadah	(a) Judicial Magistrate (b) Nawada (c) Nawada	Nawada	Nawada
2.	Sri Mayank Kumar Pandey, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Begusarai	(a) Judicial Magistrate (b) Manjhaul (c) Begusarai	Begusarai	Manjhaul

3.	Sri Aashish Chandra, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhabhua (Kaimur)	(a) Judicial Magistrate (b) Mohania (c) Kaimur	Kaimur	Mohania
4.	Ms. Swati Priyadarshni, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bettiah	(a) Judicial Magistrate (b) Bettiah (c) West Champaran	West Champaran	Bettiah
5.	Ms. Shikha Sharma, J.M. 1 st Class, Sheohar	(a) Judicial Magistrate (b) Sheohar (c) Sheohar	Sheohar	Sheohar
6.	Ms. Kumari Dimpy, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jehanabad	(a) Judicial Magistrate (b) Arwal (c) Jehanabad	Jehanabad	Arwal
7.	Ms. Kavita Kumari, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Katihar	(a) Judicial Magistrate (b) Katihar (c) Katihar	Katihar	Katihar
8.	Sri Anand Raj, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Chapra	(a) Judicial Magistrate (b) Jhanjharpur (c) Madhubani	Madhubani	Jhanjharpur
9.	Sri Inzmamul Haque, Civil Judge (Jr. Division), Kishanganj	(a) Judicial Magistrate (b) Kishanganj (c) Kishanganj	Kishanganj	Kishanganj

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

15 मई 2025

सं० 1827 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर डॉ. मो० जीशान चांद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)—सह—ए.सी.जे.एम., पटना सिटी की सेवाएँ बिहार के सहायक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 15th May 2025

No. 1827 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Dr. Md. Jeeshan Chand, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM, Patna City is placed at the disposal of the State Government in the General Administration Department, Patna for his appointment to the post of Assistant Director (Research and Training), Bihar Judicial Academy, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

16 मई 2025

सं० 1829—नि०: निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर, जहाँ वह साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3)/‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा (9) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा नीचे नामित न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किया जाता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	(अ) नये स्थान पर पदनाम (ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान (स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है
1.	श्री हिमांशु पाण्डेय असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि)–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल (दरभंगा)।	अ) असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि)–सह –अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–पीठासीन पदाधिकारी, लघु वाद न्यायालय ब) झंझारपुर स) मधुबनी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 16th May 2025

No. 1829 A:—The Judicial officer of the rank of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station as mentioned in column no. 3 of the table against his name.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section (9) of 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', the High Court is pleased to confer upon the Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred and posted
1	2	3
1.	Sri Himanshu Pandey Civil Judge (Senior Division)-cum-A.C.J.M., Biraul (Darbhanga).	a) Civil Judge (Senior Division)-I-cum-A.C.J.M.-I - cum-P.O. of Small Causes Court. b) Jhanjharpur c) Madhubani

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

16 मई 2025

सं० 1830 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान स्थानांतरण एवं नियुक्ति पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) एवं दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम। ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान। स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कॉज्ज कोर्ट्स ऐक्ट 1887 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री अंकित राजन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद	(अ) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्टि) (ब) जहानाबाद (स) जहानाबाद	अ) जहानाबाद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्टि) की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) जहानाबाद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्टि) की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

The 16th May 2025

No. 1830 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Civil Judge (Junior Division) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	1.Designation at the new station 2.Place where the officer is to be ordinarily stationed at. 3.Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station (a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). (b) Under the Provincial Small Causes Courts Act,1887.
1	2	3	4
1.	Sri Ankit Ranjan J.M. 1 st Class, Jehanabad	(a) Civil Judge (Jr. Division) (b) Jehanabad (c) Jehanabad	(a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Jehanabad Civil Judge (Junior Division). (b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Jehanabad Civil Judge (Junior Division).

**By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.**

16 मई 2025

सं० 1831 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा (9) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोर्ट) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1	2	3
1.	सुश्री अंजली कपूर, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हाजीपुर	वैशाली
2.	सुश्री आंचल दहिया, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, पटना	पटना
3.	सुश्री शबनम, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, हाजीपुर	वैशाली
4.	सुश्री राखी कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, सुपौल	सुपौल
5.	श्री आकाश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, गया	गया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 16th May 2025

No. 1831 A:—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the Districts
1	2	3
1.	Ms. Anjali Kapoor, J.M. 2 nd Class, Hajipur	Vaishali
2.	Ms. Aanchal Dahiya, J.M. 2 nd Class, Patna	Patna
3.	Ms. Shabnam, J.M. 2 nd Class, Hajipur	Vaishali
4.	Ms. Rakhi Kumari, J.M. 2 nd Class, Supaul	Supaul
5.	Sri Akash Kumar, J.M. 2 nd Class, Gaya	Gaya

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

16 मई 2025

सं० 1833 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 / ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में नामित न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ 4 में वर्णित क्षेत्राधिकार के लिए, अन्य न्यायालय पटना जिसका मुख्यालय स्तम्भ -3 में नियत स्थान होगा को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत डी० एस० पी०

ई0 पटना शाखा के अलावे अन्य शाखाओं द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है।

उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 की उप धारा (1) के खण्ड (ब)/ 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 210 की उप धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0एस0पी0ई0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना का स्थान	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार के जिले
1.	2.	3.	4.
1.	सुश्री स्मिता कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना।	पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार तथा पूर्णियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 16th May 2025

No. 1833 A:—In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Section 9 of the 'Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023', the High Court have been pleased to appoint the Judicial Magistrate named in column no. 2 of the table given below, as Exclusive Magistrate for the area of jurisdiction given below against her name in column no. 4 with headquarter mention in column no. 3 to try and if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other branches also besides the Patna Branch with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area mention in column no. 4 of the table.

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch, under Sub-Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 / under Sub-Section (1) (b) of Section 210 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch

Sl. No.	Name, Designation and Place of Posting of the Officer	Headquarter	District under Jurisdiction
1.	Ms. Smita Kumari, Judicial Magistrate First Class cum Additional Civil Judge (Jr. Div.), Patna	Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Buxar, Bhabhua, Rohtas, Gaya, Aurangabad, Nawadah, Jehanabad, Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Katihar and Purnea

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

20 जून 2025

सं० 1924 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ—2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ—3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1	2	3	4
1.	श्री बलराम दूबे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा	मधेपुरा	श्री शिव गोपाल मिश्रा के स्थान पर जिनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के रूप में किया गया है।
2.	श्री शिव गोपाल मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा	दरभंगा	श्री विनोद कुमार तिवारी के स्थान पर जो दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
3.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई	भागलपुर	श्री राजेश नारायण सेवक पाण्डेय के स्थान पर जो दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
4.	श्री रणवीर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीसराय	कटिहार	श्री हेमन्त कुमार त्रिपाठी के स्थान पर जो दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
5.	श्री संदीप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	जमुई	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर जिनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के रूप में किया गया है।
6.	श्री सत्य भूषण आर्य, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद	बांका	श्री निखिलेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर जो दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 20th June 2025

No. 1924 A:—The following Officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Principal District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :-

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1	2	3	4
1.	Sri Balram Dubey, Principal Judge, Family Court, Saharsa	Madhepura	Vice Sri Shiv Gopal Mishra, who has been transferred and posted as Principal District and Sessions Judge, Darbhanga.
2.	Sri Shiv Gopal Mishra, Principal District and Sessions Judge, Madhepura	Darbhanga	Vice Sri Vinod Kumar Tiwari, who is going to superannuate on 30.06.2025.
3.	Sri Dharmendra Kumar Singh, Principal District and Sessions Judge, Jamui	Bhagalpur	Vice Sri Rajesh Narayan Sewak Pandey, who is going to superannuate on 30.06.2025.

4.	Sri Ranvir Singh, Principal Judge, Family Court, Lakhisarai	Katihar	Vice Sri Hemant Kumar Tripathi, who is going to superannuate on 30.06.2025.
5.	Sri Sandip Singh, Principal Judge, Family Court, East Champaran at Motihari	Jamui	Vice Sri Dharmendra Kumar Singh, who has been transferred and posted as Principal District and Sessions Judge, Bhagalpur.
6.	Sri Satya Bhushan Arya, Principal Judge, Family Court, Aurangabad	Banka	Vice Sri Nikhilesh Kumar Tripathi, who is going to superannuate on 30.06.2025

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

20 जून 2025

सं० 1926 नि०:—श्री अविनाश कुमार-I, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुपौल (मुख्यालय पटना) को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में मधुबनी स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 20th June 2025

No. 1926 A:—Sri Avinash Kumar - I, District and Additional Sessions Judge, Supaul (Headquarter at Patna) is transferred and posted at Madhubani as District and Additional Sessions Judge.

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

23 जून 2025

सं० 1982 नि०:—श्री अविनाश कुमार-I, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुपौल (मुख्यालय पटना तथा अधिसूचना संख्या 1926 नि० दिनांक 20.06.2025 के द्वारा मधुबनी स्थानांतरण आदेशाधीन), को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में मधुबनी के स्थान पर सहर्सा स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

न्यायालय की उपर्युक्त पूर्व अधिसूचना तत्काल प्रभाव से उपरोक्त सीमा तक संशोधित की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 23th June 2025

No. 1982 A :—Sri Avinash Kumar - I, District and Additional Sessions Judge, Supaul (with headquarters at Patna and under order of transfer to Madhubani vide Notification No. 1926A dated 20th June, 2025), is hereby transferred and posted at Saharsa as District and Additional Sessions Judge in place of Madhubani.

Court's earlier notification mentioned above stands modified to the aforesaid extent with immediate effect.

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

25 जून 2025

सं० 1988 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) श्रेणी के न्यायिक पदाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी प्रथम श्रेणी को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 12 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्ति किया जाता है।

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम	अनुमण्डल का नाम
1.	2.	3.	4	5.
1.	श्री आलोक कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जहानाबाद	(अ) न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) अरवल (स) जहानाबाद	जहानाबाद	अरवल

न्यायालय की अधिसूचना सं० 1778 नि० दिनांक 19.04.2025 जिसका संबंध सुश्री कुमारी डिम्पी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जहानाबाद को अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापना से है, को उपरोक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 25th June 2025

No. 1988 A :—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby transferred and posted as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub-Section (3) of Section 9 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the High Court is pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the District noted against his name in column no. 4 of the table, and

In exercise of the powers conferred under Sub Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code / Sub Section (3) of Section 10 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the Officer is designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against his name in column no. 5 of the said table.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and place of present posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District	Name of the Sub-Division
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sri Alok Kumar, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jehanabad	(a) Judicial Magistrate (b) Arwal (c) Jehanabad	Jehanabad	Arwal

This Court's Notification No. 1788A dated 19.04.2025 so far as it relates to transfer and posting of Ms. Kumari Dimpy, J.M. 1st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Jehanabad as S.D.J.M., Arwal is modified to the aforesaid extent.

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

27 जून 2025

सं० 1989 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री अनूप रावत, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा (सारण)	सारण
2.	श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पटना	पटना
3.	श्री अंकित राजन, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), जहानाबाद	जहानाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 27th June 2025

No. 1989 A:— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting along with Judgeship / Station	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Sri Anup Rawat, Civil Judge (Jr. Division), Chapra (Saran)	Saran
2.	Sri Prafull Kumar Singh, Civil Judge (Jr. Division), Patna	Patna
3.	Sri Ankit Rajan, Civil Judge (Jr. Division), Jehanabad	Jehanabad

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

5 जुलाई 2025

सं० 2035 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर, श्री अमिताव चौधरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालंदा बिहारशरीफ की सेवाएँ निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिरोष आयोग, बिहार, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 5th July 2025

No. 2035 A :—On being relieved of his present assignment, the services of SriAmitava Choudhary , Principal District & Sessions Judge, Nalanda at Biharsharif isplaced at the disposal of the State Government in the General AdministrationDepartment, Patna for his appointment to

the post of Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.**

5 जुलाई 2025

सं० 2036 नि०—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियुक्त किए जाते हैं।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	सुश्री सदाफ मुस्तफा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), आरा, भोजपुर	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) भागलपुर स) भागलपुर	भागलपुर
2.	सुश्री अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मुजफ्फरपुर (प०)	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) मुंगेर स) मुंगेर	मुंगेर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 5th July 2025

No. 2036 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate 1st Class -cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no.3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974)/ Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Md. Sadaf Mustafa, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Bhojpur at Ara	(a) Judicial Magistrate (b) Bhagalpur (c) Bhagalpur	Bhagalpur

2.	Ms. Anamika Kumari, J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Muzaffarpur (W)	(a) Judicial Magistrate (b) Munger (c) Munger	Munger
----	---	---	--------

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

5 जुलाई 2025

सं० 2037 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियुक्त किए जाते हैं।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम पदनाम सहित एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी का नाम जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गए हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री आरव जैन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) जहानाबाद स) जहानाबाद	जहानाबाद
2.	श्री कुमार सौरभ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) जहानाबाद स) जहानाबाद	जहानाबाद
3.	सुश्री सुगम कुमारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), छपरा	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) जहानाबाद स) जहानाबाद	जहानाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 5th July 2025

No. 2037 A:—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate 1st Class -cum- Addl. Civil Judge (Jr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no.3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974)/ Sub-Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the officers named

below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Aarav Jain J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Chapra	(a) Judicial Magistrate (b) Jehanabad (c) Jehanabad	Jehanabad
2.	Sri Kumar Saurabh J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Chapra	(a) Judicial Magistrate (b) Jehanabad (c) Jehanabad	Jehanabad
3.	Ms. Sugam Kumari J.M. 1 st Class-cum-Addl. Civil Judge (Jr. Division), Chapra	(a) Judicial Magistrate (b) Jehanabad (c) Jehanabad	Jehanabad

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

11 जुलाई 2025

सं० 2038 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित असेैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	सुश्री कुमारी अनुष्का चतुर्वेदी, असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मधुबनी	मधुबनी
2.	श्री प्रतीक रंजन चौरसिया, असेैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मधुबनी	मधुबनी

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 11th July 2025

No. 2038 A:— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) / Sub Section (3) of Section 9 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court is pleased to confer upon the Civil Judges (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting along with Judgeship / Station	Name of the District
1.	2.	3.
1.	Ms. Kumari Anushka Chaturvedi, Civil Judge (Jr. Division), Madhubani	Madhubani
2.	Sri Prateek Ranjan Chaurasia, Civil Judge (Jr. Division), Madhubani	Madhubani

By order of the High Court,
P. K. Malik, Registrar General.

30 जुलाई 2025

सं० 2270 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विषेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 284 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1	2	3
1.	मो० महमूद आलम, (बि०प्र०से०)जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर	सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला
2.	श्री बलवीर दास, (बि०प्र०से०) भूमि सुधार उप समाहर्ता, समस्तीपुर	सम्पूर्ण समस्तीपुर जिला
3.	श्री दिलीप कुमार, (बि०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर	समस्तीपुर अनुमंडल
4.	श्री कुमुद रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, समस्तीपुर	समस्तीपुर अनुमंडल
5.	श्री आकाश चौधरी, (भा०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा	रोसड़ा अनुमंडल
6.	श्री अमित कुमार, (बि०प्र०से०) भूमि सुधार उप समाहर्ता, रोसड़ा	रोसड़ा अनुमंडल
7.	श्रीमती प्रियंका कुमारी, (बि०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय	दलसिंहसराय अनुमंडल
8.	श्रीमती सविता कुमारी, (बि०प्र०से०) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दलसिंहसराय	दलसिंहसराय अनुमंडल
9.	श्री विकास कुमार पाण्डेय, (बि०प्र०से०) अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी	पटोरी अनुमंडल
10.	श्रीमती प्रियंका कुमारी, (बि०प्र०से०) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटोरी	पटोरी अनुमंडल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
प्रदीप कुमार मलिक, महानिबंधक।

The 30th July 2025

No. 2270 A :—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) / Section 11 of *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*, the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the Code of Criminal Procedure, 1973 / *Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023*.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. / Section 284 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Md. Mahmud Alam, (B.A.S.) District Supply Officer, Samastipur	Samastipur district
2.	Sri Balvir Das, (B.A.S.) D.C.L.R., Samastipur	Samastipur district
3.	Sri Dilip Kumar, (B.A.S.) Sub Divisional Officer, Samastipur	Samastipur Sub-division
4.	Sri Kumud Ranjan, Sub Election Officer, Sadar Sub division, Samastipur	Samastipur Sub-division
5.	Sri Akash Choudhary, (I.A.S.) Sub Divisional Officer, Rosera	Rosera Sub-division
6.	Sri Amit Kumar, (B.A.S.) D.C.L.R., Rosera	Rosera Sub-division
7.	Smt. Priyanka Kumari, (B.A.S.) Sub Divisional Officer, Dalsinghsarai	Dalsinghsarai Sub-division
8.	Smt. Savita Kumari, (B.A.S.) D.C.L.R., Dalsinghsarai	Dalsinghsarai Sub-division
9.	Sri Vikas Kumar Pandey, (B.A.S.) Sub Divisional Officer, Patori	Patori Sub-division
10.	Smt. Priyanka Kumari, (B.A.S.) D.C.L.R., Patori	Patori Sub-division

**By order of the High Court,
P.K. Malik, Registrar General.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालयसूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

4 अप्रील 2025

सं० 21—श्री शिव पार्वती मंदिर, ग्राम—हिलालपुर मदारपुर, अँचल+थाना—हाजीपुर, जिला— वैशाली, पर्षद में निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०—4161 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक—1759, दिनांक—30.11.2019 द्वारा अँचल पदाधिकारी, हाजीपुर, को पदेन अध्यक्ष बनाते हुये, 09 सदस्यों की एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिये किया गया था, जिसके द्वारा पर्षद में नियमानुसार न्यास की आय—व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क आदि कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है।

चुंकि कार्यरत न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तत्पश्चात् माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा C.W.J.C. No.-17322/22 में दिये दिशा—निर्देश के आलोक में नवीन न्यास समिति गठन हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली, से पर्षदीय पत्रांक—2884, दिनांक—18.02.2025 के द्वारा नामों का प्रस्ताव की मांग की गयी।

जिला पदाधिकारी, वैशाली, के पत्र सं०—563, दिनांक—11.03.2025 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु नामों की सूची पर्षद को प्राप्त हुई। उक्त प्रस्ताव में नामित व्यक्तियों का आपराधिक/निरोधात्मक कार्रवाई से संबंधित ब्योरा नहीं होने के संबंध में सूचित किया गया है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, अंजनी कुमार सिंह, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सम्यक विकास एवं संचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत प्राप्त प्रावधानों का प्रयोग करते हुए “श्री शिव पार्वती मंदिर, ग्राम—हिलालपुर मदारपुर, अँचल+थाना—हाजीपुर, जिला—वैशाली” की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु निम्नलिखित योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा प्रस्तावित नामों में से निम्नांकित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन करता हूँ :—

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री शिव पार्वती मंदिर, ग्राम—हिलालपुर मदारपुर, अँचल+थाना—हाजीपुर, जिला— वैशाली,” योजना होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री शिव पार्वती मंदिर, ग्राम—हिलालपुर मदारपुर, अँचल+थाना—हाजीपुर, जिला— वैशाली, न्यास समिति ” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ—साथ पूजा—अर्चना, राग—भोग, अतिथि—सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा। खाते का संचालन अध्यक्ष/सचिव में से कोई एक व्यक्ति तथा कोषाध्यक्ष अर्थात् 02 व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जायेगा।

4. मठ/मंदिर परिसर में जगह—जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे और स्थानीय नहीं होंगे तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

11. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की जायेगी एवं बैठक के उपरान्त बैठक में लिए गये निर्णय से न्यास समिति के अध्यक्ष को भी अवगत कराया जायेगा।

13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

15. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रूरता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा-11, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-428 व 429 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः न्यास/मंदिर/मठ आदि में रहने वाले गोवंश एवं अन्य पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी पशु के प्रति क्रूरता एवं परिणाम वध/मृत्यु होता हो या ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता हो ऐसा कोई कार्य कोई भी न्यासधारी/सेवायत/महंत या न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

17. न्यास समिति द्वारा अपने कार्यकलापों, आय-व्यय एवं न्यास में किये गये विकास के कार्यों से प्रत्येक तीन माह पर पर्षद को अवगत कराना आवश्यक है।

18. न्यास समिति के उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्यों को अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर नोटरीकृत स्व-घोषणा हलफनामा पर्षद में दाखिल करना अनिवार्य है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि विषय-वस्तु गलत है, तो वह कानून के अनुसार 'बोर्ड' द्वारा दंडनीय होंगे।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. जिला पदाधिकारी, वैशाली, | — अध्यक्ष |
| 2. श्री रामनरेश सिंह, पिता-स्व० वीरबल सिंह
पता-ग्राम-कुआरी खुर्द, पो०-बल्वा कुआरी, थाना-सदर हाजीपुर, वैशाली, | — उपाध्यक्ष |
| 3. अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर, | — सचिव |
| 4. श्रीकान्त कुमार, पिता-स्व० राम चन्द्र पासवान,
पता-ग्राम-हसनपुर ओस्ती, पो०+प्रखंड-महुआ, वैशाली, | — कोषाध्यक्ष |
| 5. श्री राकेश कुमार पासवान, पिता-श्री श्याम चन्द्र पासवान
पता-ग्राम-दयालपुर सफा, प्रखंड-हाजीपुर, वैशाली, | — सदस्य |
| 6. श्री राज कुमार सिंह, पिता-स्व० सकल सिंह,
ग्राम-चकमाही अंधरवारा, वार्ड नं०-02, पो०-विदुपुर, वैशाली, | — सदस्य |
| 7. श्री अनुराग कुमार, पिता-ओम प्रकाश सिंह,
ग्राम-कुतुबपुर, पो०- थाथन बुजुर्ग, थाना-सदर हाजीपुर, वैशाली, | — सदस्य |
| 8. श्री सुरी राम (सुरेन्द्र राम), पिता-स्व० जामुन राम | — सदस्य |
| 9. श्री दिनकर प्रसाद शुक्ला, पिता-स्व० चन्द्रिका शुक्ला
दोनों का पता- पता-ग्राम+पो०-विष्णुपुर तितिढा, थाना-बरौटी, वैशाली, | — सदस्य |
| 10. श्री राम प्रसाद राय, पिता-स्व० राम चरित्र राय,
पता-ग्राम+पो०-हिलालपुर मदारपुर, थाना-औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली, | — सदस्य |
| 11. श्री आलोक कुमार, पिता-स्व० राम सेवक राय,
पता-ग्राम+पो०-हिलालपुर मदारपुर, थाना-गंगा ब्रीज, वैशाली। | — सदस्य |

न्यास समिति को ही मठ की सम्पूर्ण भूमि को बंदोबस्ती करने का अधिकार रहेगा तथा जो अतिक्रमण में भूमि है उसको मुक्त कराने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों और न्यायालयों में प्रार्थना-पत्र और मुकदमा दाखिल करने के लिए समिति को अधिकृत किया जाता है।

न्यास समिति को पूर्ण रूप से अधिकार होगा की नये सिरे से मठ/मंदिर की भूमि की बन्दोबस्ती करें तथा पुराना बकाया राशि की बसूली करें।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्य—काल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष का होगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री शिव पार्वती मंदिर, ग्राम—हिलालपुर मदारपुर, अँचल+थाना—हाजीपुर, जिला—वैशाली,” के नाम से ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:—1) न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलौन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि—सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश,
अंजनी कुमार सिंह, प्रशासक।

सूचना

No. 882—1, Gopesh Kumar S/O Hari Kishore Singh, At present Address Village+ Post-Morsand, PS Runnisaidpur, District Sitamarhi, Pin 843328, declare vide affidavit no.- 26221 date 28.06.2025, My daughter, Avantika, will be known as Avantika Singh.

Gopesh Kumar.

No. 883—I, ADITYA KUMAR MISHRA, Aged about 53 years, S/O Upendra Mishra R/O- c/o Jagdish Narayan Singh, Simri Niwas Road no. 12, Rajendra Nagar, Patna, Bihar- 800016, do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no. 1903 dated 26.06.2025. That Aman Kumar is my son. That in Aman Kumar's 10th and 12th all educational certificates my name is wrongly mentioned as Aditya Mishra. That my correct name is Aditya Kumar Mishra according to my Aadhar card. That instead of Aditya Mishra I shall be known as Aditya Kumar Mishra for all purposes.

ADITYA KUMAR MISHRA.

सं० 884—मैं राहुल कुमार पिता—नेपाली दास, माता—बुलबुल देवी, साकिन—कोरचक्का, डाकघर—धरमपुररत्ती, थाना—झंडापुर, जिला—भागलपुर राज्य बिहार पिन नं—853201, धर्म पूर्वक इकरार करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम राहुल कुमार है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित हैं जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम राहुल कुमार दास अंकित है जो गलत है शपथ सं० 1622 दिनांक 17.05.2025 के द्वारा मैं भविष्य में राहुल कुमार के नाम से सभी कार्यों के लिए जाना ए पहचाना जाऊँगा।

राहुल कुमार।

सं० 885—मैं वैभव सिंह (Vaibhav Singh) पिता- राकेश कुमार, मोहल्ला- कांटा पर, पोस्ट बिहारशरीफ, थाना लहेरी, जिला नालंदा निवासी हूँ। मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट प्रमाणपत्र सहित आधार कार्ड पर मेरा नाम वैभव अंकित है। आईएससी की परीक्षा के रिजल्ट पर मेरा नाम वैभव सिंह अंकित है। मैं वैभव उर्फ वैभव सिंह इन दोनों नाम का एक ही व्यक्ति हूँ और इन दोनों नाम से जाना जाता हूँ। भविष्य के सभी कार्यों में मैं वैभव सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा। शपथ पत्र 23189 दिनांक 20/06/25.

वैभव सिंह।

No. 886—I, Guriya Kumari W/o Rambabu Yadav R/o Paiktol, Paik Tola, Nehra, Distt.- Darbhanga, Bihar 847233 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 544 dt. 21.04.25 that my name is written in Aadhar Card as Gudiya Kumari whereas in educational documents written in Guriya Kumari. Both name are same and one person. From now I shall be known as Guriya Kumari for all purposes.

Guriya Kumari.

No. 887—I, SADHANA THAKUR W/o SRI MADAN MOHAN THAKUR R/o Shiv Sagar , New Balbhadrapur, P.O- Laheriasarai, Darbhanga, Bihar-846001 declare vide affidavit no. 2469 dated 29.07.2025. That in my daughter ARYA KUMARI'S matriculation all educational certificates my name incorrectly mentioned as SADHNA DEVI. That my correct name is mentioned in my Aadhar card as SADHANA THAKUR. That I shall be known as SADHANA THAKUR for all purposes.

SADHANA THAKUR.

सं० 888—मैं कुमारी सुनीता, (KUMARI SUNITA) पति—सुधीर कुमार साकिन—सैदपुरा, पोस्ट—अलीनगर, थाना—पिपरिया, जिला—लखीसराय बिहार 811106 शपथ पत्र सं०— 844 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा यह सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुनीता कुमारी अंकित है। यह कि, दसवीं के अंक प्रमाण पत्र में मेरा नाम कुमारी सुनीता अंकित है। मैं अब सुनीता कुमारी के जगह पर कुमारी सुनीता (KUMARI SUNITA) के नाम से भविष्य में सभी कार्यों के लिए जानी व पहचानी जाऊँगी।

कुमारी सुनीता।

No. 889—I, AKHILESH MOCHI , S/O.-LALU RAM, Resident of Village- Mahamdpur Abdal P.O.- Modanganj, P.S.-Ghoshi District-Jehanabad Bihar 804418 do hereby solemnly affirm and declare as follows vide affidavit no. 799 dated 03.07.2025 That I want to add surname to "DAS". That my name has been recorded as AKHILESH MOCHI in Aadhar card and pan card. That from now I will be know as AKHILESH DAS for All future purpose.

AKHILESH MOCHI.

No. 892—I, Ramesh Jha S/o Sadanand Jha R/o Village-Bithauli, Post-Kansi Simri, Distt.- Darbhanga Bihar-847106] Correspondence Address, 661C Colony SB Post office-DLW Kakarmata Varanasi Uttar Pradesh 221004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1598 dt. 18.08.25 that Naincy Jha is my minor daughter. Her name is written in her Birth certificate as Nainsi Naman which is wrong. As per school I.D. her name is written as Naincy Jha. Both names are same and one person. From now she will be known as Naincy Jha.

Ramesh Jha.

No. 893—I, Anuradha Kumari W/o Late Kanhaiya Kumar, R/o Shankarwar Tola, W.No.- 16, Mokama, P.O+P.S.- Mokama, Dist.-Patna, Bihar-803302 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-836, dt. 04.09.2025 that my name is written in my minor son Dhairya Raj's School leaving Certificate as Anuradha. As per Aadhar Card my name is Anuradha Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Anuradha Kumari for all purposes.

Anuradha Kumari.

No. 897—I, Rinku Kumari w/o Kundan Sharma Vill-Malikpur, District-Nalanda, Mallikpur Bihar hereby affirm and declare as follows as per Affidavit No 1919 Dated 30.06.2025 That Nishant Kumar is my son. that in Nishant Kumar's 10th all educational certificate my name mistakenly mentioned as Rinku Devi. that in my aadhar card my name mentioned as Rinku Kumari. That I shall be known as Rinku Kumari for all purposes.

Rinku Kumari.

सं० 898—मैं, चांदनी कुमारी, पिता-श्री सुनिल कुमार, निवासी-ग्राम-नराई, पो.+ थाना-एकंगरसराय, जिला-नालंदा-801301 बिहार, शपथ पत्र सं.-1705 दि. 17.05.25 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चांदनी कुमारी (Chandani Kumari) दर्ज है, जो गलत है। शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम चांदनी कुमारी (Chandni Kumari) दर्ज है, जो सही है। आगे भविष्य में चांदनी कुमारी (Chandni Kumari) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

चांदनी कुमारी।

No. 899—I, Anita Kumari W/o Shankar Kumar R/o Bishunpur Pakri, New Aitbarpur, P.S.-Beur, Patna-800002, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8415 dt. 02.05.2025 that my name is wrongly written in my son Alok Kumar's Marksheet of 10th Passed exam. Conducted by CBSE as Anita Devi my actual and correct name is Anita Kumari. From now I shall be known as Anita Kuamri for all purposes.

Anita Kumari.

No. 900—I, Rinku Kumari w/o Kundan Sharma Vill-Malikpur, District-Nalanda, Mallikpur Bihar hereby affirm and declare as follows as per Affidavit No 1920 Dated 30.06.2025 That HARSITA KUMARI is my daughter's. That in HARSITA KUMARI 12th all educational certificate my name mistakenly mentioned as Rinku Devi. That in my aadhar card my name mentioned as Rinku Kumari. That I shall be known as Rinku.

Rinku Kumari.

No. 901—I, Rajesh Kumar, S/o Baijnath Mahto, R/o South Mandiri, S.K. Nagar, Road no. 27, P.O-GPO, P.S-Buddha Colony, Patna -800001 declared vide affi. no. 753, dt. 05.06.2025 that my name is written as Rajesh Kumar Mahto in my Aadhar Card, Pan Card, Voter ID and other documents which is correct. Rajesh Kumar is written in my owner book, which is wrong. That from now I will be known as Rajesh Kumar Mahto for all purposes.

Rajesh Kumar Mahto.

No. 902—I, KANCHAN JHA, Wife of Pavan Kumar Jha, Resident of 2C/166, G.D. Mishra Path New Patliputra Colony Near C.I.S.F Office, P.o-Patliputra, P.S.- Patliputra Patna-800013, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as follows vide affidavit no. 889 dated 08.07.2025 That in my Minor son's Aadhar card Name has been wrongly written as Kumar Abhinav Anand Jha. That my son's correct name is Abhinav Anand Jha written in his I.C.S.E Admit card. That from now he will be known as ABHINAV ANAND JHA for All future purpose.

KANCHAN JHA.

No. 903—I, Manoj Kumar Pandit, S/o Late Narayan Pandit R/o Mohaddinagar, P.S.-Mojahidpur, P.O.-Mirjanhat, Distt.-Bhagalpur, 812005, Bihar do hereby solemnly affirm and declare per aff. No.-1151 dt. 11.03.25 that my name is witten in my daughter Ekta Sagar's class 10th and 12th CBSE Board as Manoj Kumar Pandit Sagar which is wrong. As per Aadhar Card my true/correct name is Manoj Kumar Pandit. Both names are same and one person. From Now I will be known as Manoj Kumar Pandit for all purposes.

Manoj Kumar Pandit.

No. 904—I, Sangeeta Kumari, W/o Lalan Kumar Singh R/o Ward No-13, Rampur Aami, P.o-Aami, Dist-Saran, Bihar-841207 hereby affirm and declare as follows vide affidavit no. 13 dated 24.07.2025. That my son Anurag Kumar Singh school record my name is mentioned as Sangeeta Devi. That in my Aadhar card my name is mentioned as Sangeeta Kumari. That instead of Sangeeta Devi I shall be known as Sangeeta Kumari for all purposes.

Sangeeta Kumari.

No. 905--I, Renu Laheri Devi W/o Sanjay Laheri R/o Aliganj, Jamui, P.S.-Chanardeep Distt.-Jamui Bihar-811301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1906 dt. 30.05.25 that Sagar Kumar is my minor son whose name is written in aadhar card as Sagar Laheri where as in all educational documents as Sagar Kumar. Both names are same and one persons. From now he will be known as Sagar Kumar for all purposes.

Renu Laheri Devi.

No. 906--I, Deepak Kumar S/o Nandjee Chaudhary R/o Village+P.O.-Raghnunathpur, Distt.-Buxar, Bihar-802134 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1886 dt. 12.06.2025 that my name is written in my all educational, documents as Deepak Kumar. Where as in Aadhar Card my name is written as Deepak Kumar Chaudhary. Both names are same and one person, From now I will be known as known as Deepak Kumar for all purposes.

Deepak Kumar.

No. 907--I, Akhileshwar Kumar Singh, s/o surendra singh, am a permanent resident of village- mehraul, P.S :- Doriganj, Distt. - Saran, Bihar. My son Ayush Kumar's matriculation examination certificate my name is wrongly mentioned as Akhileshwar Singh. But, my correct name is AKHILESHWAR KUMAR SINGH. Now in my future I will be known as **AKHILESHWAR KUMAR SINGH** for all legal purposes. **AFFIDAVIT NO. – 20110, DATE - 27/06/2025.**

AKHILESHWAR KUMAR SINGH.

सं० 908--मैं **जयप्रकाश पासवान**, पिता - **विन्देश्वर पासवान**, पता - सातनपुर काको, काको, जहानाबाद, पिन - 804418, राज्य - बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मैं निम्नलिखित बातों का शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्र का नाम **रविरंजन कुमार** है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **जयप्रकाश पासवान** है, जो सही है। यह की मेरे पुत्र के मैट्रिक के सभी प्रमाण पत्रों में भूलवश मेरा नाम **जयप्रकाश नारायण** अंकित हो गया है, जो गलत है। मेरा सही नाम **जयप्रकाश पासवान** है। यह की भविष्य में सभी कार्य हेतु **जयप्रकाश पासवान** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा। शपथ-पत्र संख्या : 358 दिनांक: 08/07/2025.

जयप्रकाश पासवान।

No. 909--I, Fatema Thekawala W/o Abbas Thekawala, R/o N-1, Defence Colony Sahyogipuri, Kankarbagh, P.S.-Kankarbagh Patna-800020, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2492 dt. 26.04.25 that my name is written in my Son Yusuf Thekawala's all educational certificate as Fatema Tehekawala which is wrong. As per Aadhar card my true/correct name is Fatema Thekawala. Both names are same and one person. From now I will be known as Fatema Thekawala for all purposes.

Fatema Thekawala.

No. 910—I, Murari Pathak S/o Surendra Pathak R/o Vchaspati Nagar, Sandalpur, P.O.- Mahendru, P.S.- Bahadurpur, Distt.-Patna, Bihar-800006 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1943 dt. 19.07.2025 that Kumar Divyam is my son, his name is written in his School ID his name is written as Kumar Divyam. In Aadhar Card his name is written as Divyam: Both names are same and one person. From now he will be known as Kumar Divyam for all purposes.

Murari Pathak.

No. 914—I, Aafreen Khatoon @ Afrin Parween D/o Md. Firoz R/o Vill.+P.O.- Baghi Bardiha, P.S. - Warisaliganj Distt. Nawada - 805104 do here by solemnly affirm & declare as per affi. No. 1799 dt. 27.06.25 that my name has wrongly written Afrin parween in my Aadhar card No. 3018 4794 0317 which is wrong. As per Matriculation certificate my actual name is AAFREEN KHATOON (आफरीन खातून) and Both the names are of one and same person and I shall here after be known as AAFREEN KHATOON for all purposes.

Aafreen Khatoon.

No. 915—I, Priyanshu Kumar, S/o Rakesh Kumar Sharan, R/o Awadh Apratment, A/203, Near Anjali Gas Agency. Mahatma Gandhi Nagar, Kankarbagh, B.H. Colony, P.O.-B.H. Colony, Patna (Bihar) 800026 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-51 dt.6 07.03.25 that my name is written in my all educational certificate and Aadhar Card as Priyanshu Kumar. Now I will be known as Priyanshu Kumar Sharan for all purpose.

Priyanshu Kumar.

No. 916—I, SUDHA KUMARI, Wife of Rajesh kumar, Resident Kamla Sadan Road No-6 Dhakanpura Phulwari Patna 800002, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as follows vide affidavit no. 1358 dated 25.07.2025. That my Son's DEVANSH SINGH 10th matriculation C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SUDHA SINGH. That Aadhar card Voter ID and pan card in my Correct name is written as SUDHA KUMARI. That from now I will be know as SUDHA KUMARI for All future purpose.

SUDHA KUMARI.

No. 917—I, Mansha. Khatoon, W/o Shahjad Ansari. R/o-Vill. Kodar, Post-Aurangabad Saraiya, P.S.-Tilouthu, Rohtas, Bihar-821312 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-394 dt. 04.08.25 that my name is written in my Aadhar card as Mansha Khatun. In Pan card, Voter LD. and Educational documents name in written as Mansha Khatoon. Both names are same and one person. Form now I shall be known as Mansha Khatoon for all purposes.

Mansha Khatoon.

सं० 918—मैं, **अली हसन अंसारी (Ali Hasan Ansari)**, पिता- मतलूब अंसारी, पता- ग्राम इटावां, पोस्ट- धनेज, थाना- कोचस, ज़िला- रोहतास, राज्य- बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम **अली हसन अंसारी** है मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भूलवश **मो० अली हसन अंसारी** हो गया है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। **अली हसन अंसारी** मेरा सही नाम है और भविष्य में अब मैं सभी कार्यों हेतु **अली हसन अंसारी** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा। **शपथ-पत्र संख्या: - 138**
दिनांक: - 21/07/2025.

अली हसन अंसारी (Ali Hasan Ansari).

No. 919—I, Abhinav Raj son of Nilamber Mishra, R/O village- Thakurichak, Nagar Parisad, Bihar, Ward no.- 12, P.O- Garhara, District- Begusarai, Bihar Pin-851126 do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is written as ABHINAV KUMAR. But, in my all-educational certificates my name is written as ABHINAV RAJ. Both the names belong to the same person. But, from now in my future I will be known as ABHINAV RAJ for all legal purposes. **AFFIDAVIT NO.- 4280 DATE: - 20/May/2025.**

Abhinav Raj.

No. 920—I, Nirupama Kumari, W/o Ashok Kumar, R/o Dabar Gali, Meenakshi Apartment, Kumhrar, Patna, Bihar-800026 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1396 dt. 29.04.2025 that my minor son Satyam Sinha's name is written his Aadhar Card as Satyam Prabhash which is wrong. As per all educational documents his true/correct name is Satyam Sinha. Both names are same and one person. From now he will be known as Satyam Sinha for all purposes.

Nirupama Kumari.

No. 921—I, Pankaj Kumar S/o Rajendra Prasad R/o Village-Firojpur, P.S.+P.O- Chiksaura, Distt. Nalanda, Bihar-801302 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3119 dt. 29.05.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Pamkaj Kumar (पंकज कुमार) where as in all educational documents my name is written as Pankaj Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Pankaj Kumar (पंकज कुमार) for all purposes.

Pankaj Kumar.

No. 922—I, IVY DORA STUART W/o- Arun Fredrick Stuart R/o- Stuarts Villa, Khan Mirza Mohalla, P.S.- Sultanganj, P.O- Mahendru, Patna-800006 (Bihar) vide affidavit No. 1745, Date-14.07.2025 that my name is recorded as IVY DORA SPENCER in my Matric Certificate. That both names belong to the same and one person i.e my self IVY DORA SPENCER and IVY DORA STUART. That I wish to change my name to IVY DORA STUART.

IVY DORA STUART.

No. 923—I, Kameshwar Prasad Kushwaha S/o Thakur Mahto R/o Koiriya Tola Raxaul, East Champaran- 845305 (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 27269 dt. 01.10.24 that my name is written in my son's Triloki Kumar 10th all documents as Kameshwar Prasad which is wrong. AS per Aadhar Card my true/correct name is Kameshwar Prasad Kushwaha. Kameshwar Prasad and Kameshwar Prasad Kushwaha both are same and one person. From now I will be known as Kameshwar Prasad Kushwaha for all purposes.

Kameshwar Prasad Kushwaha.

No. 924—I, Shiv Kumar Yadav S/o Arun Yadav R/o Navtoli Balni Mehath, Jhanjharpur, Distt.-Madhubani, Bihar-847404 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3121, dl. 28.06.2025 that my name is written in all educational documents as Shiv Kumar Yadav. In Aadhar Card written as Shiv Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Shiv Kumar Yadav for all purposes.

Shiv Kumar Yadav.

No. 926—1, Arsad Hussain Ansari S/o Abdul Salam Ansari R/o Sultanpur, Khurd P.O.-Ladhi Sarai, Distt.-Siwan, Bihar-841434 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1511 dt, 27.6.25 that my name is written in Aadhar card as Arsad Hussain. In passport and Indian Driving Licence as Arsad Hussain Ansari. Both names are same and one person. From now I will be known as Arsad Hussain Ansari for all purposes.

Arsad Hussain Ansari.

No. 927—I, Manisha D/o Shashi Bhushan R/o Shanti Choudhary Apartment Flat No.-301, Dusadhi Pakari Kankarbagh, Patna, Bihar-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1098 dt. 11.07.2025 that my name is written in my Aadhar, Pan Card as Manisha Kashyap. Whereas in my educational documents written as Manisha. Both names are same and one person. From now I shall be known as Manisha Kashyap for all purposes.

Manisha.

No. 928—I, Upendra Kumar S/o Late Ramchandra Prasad, R/o Parsa Bazar, Patna – 804453, declare vide affidavit No – 52, Dated- 19.04.2025 that my minor daughter ADITY KUMARI will be known as ADITY ZAYVRON for all future purposes.

Upendra Kumar.

No. 929—I, Anuj S/o Sri Shashi Bhushan Shrivastava R/o Mohalla-7 HF.Q. No.-25, Block No.-8, Bahadurpur Housing Colony, P.S.-Agamkuan P.O.-Bahadurpur Housing Colony, Patna, Bihar-800026 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 395 dt. 03.07.25 that my name is written in Aadhar, Pan card, Educational and other documents as Anuj. From now I shall be known as Anuj Shrivastava for all purposes.

Anuj.

No. 930—I, Pappu Mahto S/o Bishtowanath Mahto R/o 62, Ayodhya Mali Gaii Park Road, Arya Kumar Road, Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-58 dt. 07.07.25 that Riya Kumari is my daughter, her name is written in her aadhar card as Riya Raj where as in Educational documents written as Riya Kumari. Both names are same and one person. From now shall be known as Riya Kumari for all purposes.

Pappu Mahto.

No. 931—I, Yasmin Siddique w/o Mohammad Jawaid AkhtarAzizi, r/o Bindeshwari Compound, Chandwara, P.S.–Town, Dist–Muzaffarpur, declare that Yasmin Siddique and Yasmin Jawaid both are same and one person, now I shall be known as Yasmin Jawaid for all future purpose. Affid No. 64/02 Dt 24.07.2025.

Yasmin Siddique.

No. 935—I, Bhawna D/O Arun Kumar Singh R/o-Tejpratap Nagar, Po-Anisabad, Ps-Beur, Patna-2 Bihar, have changed my name from Bhawna to Bhawna Singh. Vide affi. No. 8380/18.07.2025.

Bhawna.

No. 936—I, Pappu Kumar Yadav, S/o Hira Lal Yadav, R/o Ward No.-06, Rajeev Nagar, 24G Keshri Nagar, P.O.- Keshari Nagar, P.S.- Rajeev Nagar, Patna-800024, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3137 dt. 30.06.2025 that the name of my daughter is written in her Aadhar Card as Dipeka Kumari, In Educational documents her name is written as Kumari Dipika Yadav. Both names are same and one person. From now she will be known as Kumari Dipika Yadav for all purposes.

Pappu Kumar Yadav.

सं० 937—शपथ पत्र सं०-205 दिनांक-26.06.2025 के आधार पर मैं कुमारी निशा, उम्र 55 वर्ष लगभग पति-श्री अखिलेश प्रसाद, निवासी-शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स के सामने, 8ए/1204ए चाँदमारी रोड, कंकड़बाग, सम्पतचक, पटना लोहियानगर, बिहार-800020, शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि पूर्व का नाम कुमारी निशा के स्थान पर अब मैं निशा देवी के नाम से जानी वो पहचानी जाऊंगी।

कुमारी निशा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 26—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>